

न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क.158 ए/2015

संस्थापित दिनांक 07/10/2014

- 1 सोहन सिंह पुत्र सोबरन सिंह उर्म सुवर्ण सिंह उम्र 51 वर्ष जाति सिक्ख निवासी ग्राम चक तुकेड़ा, परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. निक्षत्र सिंह पुत्र सोहन सिंह आयु 55 वर्ष जाति सिक्ख निवासी ग्राम चक तुकेड़ा, हाल 29 डेनमार्क रोड साउथ छाल मिडलेक्सेस लंदन इंग्लैण्ड यू.बी. 2 एस.एन.एक्स. (यू.के.)
2. गुरमेल कौर पत्नी निक्षत्र सिंह आयु 53 वर्ष जाति सिक्ख निवासी ग्राम चक तुकेड़ा, हाल 29 डेनमार्क रोड साउथ छाल मिडलेक्सेस लंदन इंग्लैण्ड यू.बी. 2 एस.एन.एक्स. (यू.के.)
3. मनप्रीत पुत्री निक्षत्र सिंह आयु 30 वर्ष जाति सिक्ख निवासी ग्राम चक तुकेड़ा, हाल 29 डेनमार्क रोड साउथ छाल मिडलेक्सेस लंदन इंग्लैण्ड यू.बी. 2 एस.एन.एक्स. (यू.के.)

..... प्रतिवादीगण

वादीग द्वारा अधि. श्री विजय श्रीवास्तव एड०

प्रतिवादीगण द्वारा अधि० श्री के.सी.उपाध्याय एड०

::— निर्णय —::

(आज दिनांक को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम चक तुकेड़ा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर, सर्वे क. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर, सर्वे क. 102 रकवा 0.41 हेक्टेयर, सर्वे क. 122 रकवा 0.40 हेक्टेयर की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादी ग्राम चक तुकेड़ा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर, सर्वे क. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर, सर्वे क. 102 रकवा 0.41 हेक्टेयर, सर्वे क. 122 रकवा 0.40 हेक्टेयर का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि वादी को वसीयत द्वारा प्राप्त हुयी थी। उक्त वादग्रस्त भूमि की पूर्व भूमि स्वामी वादी की मां नसीब कौर थी एवं वादी की मां

वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में काबिज होकर खेती करती थी। वादी का भाई प्रतिवादी क्र. 1 निक्षत्र सिंह इंग्लैण्ड में रहता था एवं प्रतिवादी क्र. 1 वादी की मां नसीब कौर की देखभाल नहीं करता था। वादी ही हर प्रकार से अपनी मां की देखभाल करता था इसलिए वादी की मां ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम की चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 19/10/82 को वादी के हक में कर दी थी तभी से वादी वादग्रस्त भूमि का एक मात्र बारिस होकर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है तथा वसीयत के आधार पर अपनी मां का एक मात्र बारिस है। वादी के भाई प्रतिवादी क्र. 1 निक्षत्र सिंह ने पंचायत से मिलकर गलत आधार पर वादग्रस्त भूमि अपनी पत्नी प्रतिवादी क्र. 2 गुरुमेल कौर एवं पुत्री प्रतिवादी क्र. 3 मनप्रीत कौर के नाम कर दी है जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं था। प्रतिवादी क्र. 1 ने गलत रूप से वादग्रस्त भूमि अपने नाम कराकर कुछ जमीन सर्वे क्र. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर प्रतिवादी क्र. 2 के नाम एवं सर्वे क्र. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर प्रतिवादी क्र. 3 के नाम कर दी है जबकि उक्त प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं है। उक्त नामांतरण वादी के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। प्रतिवादी क्र. 1 निक्षत्र सिंह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना चाहता है जबकि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 3 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी को वसीयत में प्राप्त नहीं हुई है। वादग्रस्त भूमि के आधिपत्यधारी प्रतिवादीगण हैं। वादग्रस्त भूमि श्रीमती नसीब कौर के स्वामित्व की भूमि नहीं थी। उपरोक्त भूमि पूर्व में मुंशा सिंह के नाम से थी, उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि पर उनके एक मात्र सोबरन सिंह उर्फ सुवर्ण सिंह के नाम का इद्राज हुआ था। सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि नसीब कौर एवं निक्षत्र सिंह तथा वादी के नाम पर समान भाग से नामांतरित हुयी थी एवं नसीब कौर की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि राजस्व कागजातों में वादी व प्रतिवादी क्र. 1 के नाम नामांतरित हुयी थी जिसकी जानकारी वादी को थी। प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दिनांक 06/03/14 को घरू बंटवारा करके रजिस्टर्ड बंटवारे से सर्वे क्र. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर अपनी पत्नी गुरुमेल कौर को एवं सर्वे क्र. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर अपनी पुत्री मनप्रीत कौर को दे दी थी। उस समय वादी भी मौजूद था। उक्त दिनांक को ही सोहन सिंह एवं निक्षत्र सिंह के मध्य भी घरू बंटवारा हुआ था। जिसमें भूमि सर्वे क्र. 86 रकवा 1.30 हेक्टेयर प्रतिवादी क्र. 1 को प्राप्त हुयी थी तथा उक्त सर्वे क्र. में रकवा 0.26 हेक्टेयर वादी को प्राप्त हुयी थी एवं सर्वे क्र. 102 रकवा 0.41 हेक्टेयर तथा सर्वे क्र. 122 रकवा 0.40 हेक्टेयर प्रतिवादी क्र. 1 को रजिस्टर्ड बंटवारे द्वारा प्राप्त हुयी थी एवं उसी अनुसार राजस्व कागजात में नामांतरित हुआ था तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण अपनी खेती पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं। नसीब कौर ने अपने जीवन काल में वादी के हित में कोई वसीयत नहीं की थी। वादी द्वारा वसीयत के आधार पर इतने लम्बे अंतराल तक कोई नामांतरण कार्यवाही भी नहीं की गयी है। प्रतिवादी क्र. 1 विदेश में रहता है परंतु वह भारत आता रहता है। मां की मृत्यु के समय वह अपनी मां के पास था। श्रीमती नसीब कौर अपने दोनों पुत्रों से समान स्नेह करती थीं एवं उन्होंने वादी के हक में दिनांक 19/10/82 को कोई वसीयत नहीं की थी। दिनांक 19/10/82 को नसीब कौर द्वारा वसीयत गोहद में लिखी गयी थी एवं ग्वालियर में जाकर नोटरी से दर्ज करायी गयी थी जबकि उक्त वसीयत गोहद में भी दर्ज करायी जा सकती थी। वसीयत के आधार पर वादी द्वारा प्रोवेट प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही नामांतरण की कार्यवाही की गयी है। वसीयत पर साक्षीगण के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं। प्रतिवादी क्र. 1 वादग्रस्त भूमि का एकांकी रूप से स्वत्व व आधिपत्यधारी था। दिनांक 06/03/2003 को सोहन सिंह के समक्ष रजिस्टर्ड बंटवारा करके सर्वे क्र. 84 एवं सर्वे क्र. 85 की भूमि प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 को दी गयी थी उस समय वादी ने कोई आपत्ति नहीं की थी तथा

उसी समय वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भी सर्वे क्र. 102 एवं 122 की भूमि के संबंध में बंटवारा हुआ था लिखितम बंटवारा लिखा गया था जो कि उपपंजीयक कार्यालय गोहद में निष्पादित हुआ था। वादी द्वारा बंटवारा एवं नामांतरण को इस न्यायालय के अलावा कहीं चुनौती नहीं दी गयी है। प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 के हक में वैधानिक रूप से बंटवारा किया गया है एवं उक्त बंटवारे के आधार पर ही प्रतिवादी क्र. 2 व 3 का नाम निक्षत्र सिंह के सीन पर राजस्व रिकॉर्ड में आया है। उक्त भूमि में वादी का कोई हक व आधिपत्य नहीं है। वसीयत फर्जी व कूटरचित है। वादी द्वारा प्रतिवादी के हिस्से की भूमि को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया है वादी द्वारा फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर वसीयत के समय सीमा के बाहर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 4 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से प्रतिवादी क्र. 4 के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादपत्र की कंडिका-1 में दर्शायी गयी भूमि का वादी वसीयतनामा के आधार पर स्वामी व आधिपत्यधारी है?
2. क्या विवादित भूमि की एक मात्र स्वामी नसीब कौर मृत्यु के पूर्व थी?
3. क्या वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरु बंटवारा हुआ था?
4. क्या प्रतिवादी क्र. 1 को अपने हिस्से की भूमि वारिस के रूप में प्राप्त हुयी थी?
5. सहायता एवं वाद व्यय?

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### वाद प्रश्न कमांक-1 लगायत 4

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों को निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 102 रकवा 0.41 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 122 रकवा 0.40 हेक्टेयर ग्राम चक तुकेड़ा में स्थित है। उक्त भूमि उसे वसीयत द्वारा प्राप्त हुयी थी इसलिए वह उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में उसकी मां स्वर्गीय नसीब कौर के स्वत्व की थी एवं नसीब कौर वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती करती थी। प्रतिवादी क्र. 1 निक्षत्र सिंह उसका भाई है जो इंग्लैण्ड में रहता था। प्रतिवादी क्र. 1 मृतक नसीब कौर की कोई देखभाल नहीं करता था। वादी द्वारा हर प्रकार से अपनी मां मृतक नसीब कौर की देखभाल की गयी थी इसलिए वादी की मां ने प्रसन्न होकर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति दिनांक 19/10/82 को उसके हक में वसीयत कर दी थी अतः वह वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्र. 1 ने पंचायत से मिलकर उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 के नाम कर दी है जबकि प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं था। प्रतिवादी क्र. 1 ने उसे सूचना दिये बगैर



गलत रूप से वादग्रस्त भूमि अपने नाम कराकर सर्वे क्र. 84 रकवा 3.2 प्रतिवादी क्र. 2 के नाम एवं सर्वे क्र. 85 रकवा 1.67 प्रतिवादी क्र. 3 के नाम गलत रूप से कर दी है जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है वह वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। अपने अभिवचनों के समर्थन में वादी ने वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 3 एवं वसीयत नामा प्रदर्श पी 4 प्रकरण में प्रस्तुत किया है।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके बाबा का नाम मुंशा सिंह है, उसके बाबा मुंशा सिंह की मृत्यु दिनांक 25/11/75 को हुयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि उसके बाबा मुंशा सिंह की मृत्यु उपरांत उनकी मल्लूपोता की जमीन किसके नाम से हो गयी थी। मल्लूपोता की कोई जमीन उसके नाम नहीं हुयी है। मुंशा सिंह ने ग्राम मल्लूपोता की जमीन की वसीयत अपनी मृत्यु के दो दिन पूर्व उसके हित में की थी। वसीयत घर पर ही साधारण कागज पर लिखकर दी थी। पद क्र. 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने उक्त वसीयत के आधार पर मल्लूपोता वाली जमीन का नामांतरण अपने हित में नहीं कराया था एवं व्यक्त किया है कि वह वसीयत लेकर पंजाब गया था परंतु तहसीलदार ने उसे मान्य नहीं किया था। पद क्र. 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि ग्राम चक तुकेड़ा में मुंशा सिंह के नाम 63 बीघा भूमि थी जो उनकी मृत्यु के बाद उसके पिता के पास आयी थी। पद क्र. 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पिता की मृत्यु 29/05/81 को हुयी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता सोबरन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह की मृत्यु उपरांत उनके हिस्से की भूमि वारिस के रूप में उसकी मां नसीब कौर भाई नक्षत्र सिंह एवं उसे समान भाग में प्राप्त हुयी थी। उसके पिता के नाम 63 बीघे भूमि थी। उसकी मां की मृत्यु के चार दिन पूर्व नक्षत्र सिंह ग्राम चक तुकेड़ा आ गये थे। पद क्र. 11 में उक्त साक्षी का कहना है कि मां की मृत्यु के बाद नक्षत्र सिंह लगभग एक डेढ़ महीने ग्राम चक तुकेड़ा में रहे थे। माताजी की मृत्यु के बाद उसने प्रदर्श पी 4 की वसीयत पटवारी एवं नक्षत्र सिंह को दे दी थी। पद क्र. 12 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि माता पिता के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि पर उसका व नक्षत्र सिंह का समान भाग पर नामांतरण हुआ था। पद क्र. 13 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसका व नक्षत्र सिंह का बंटवारा नहीं हुआ है। पद क्र. 15 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2003 में नक्षत्र सिंह अपनी पत्नी व पुत्री के साथ ग्राम चक तुकेड़ा आये थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 06/03/03 को नक्षत्र सिंह ने अपनी भूमि को घरू बंटवारे के आधार पर अपनी पुत्री व पत्नी को उपपंजीयक कार्यालय गोहद में दे दिया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि वह उस वक्त साथ में था। पद क्र. 17 में उक्त साक्षी का कहना है कि माता जी ने दिनांक 19/10/82 को वसीयत की थी। वसीयत ग्वालियर कचहरी में की थी। वसीयत किसने लिखी थी वह नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि वसीयत की नोटरी किसके यहां करायी थी। उसने प्रदर्श पी 4 की वसीयत गोरखी ग्वालियर में लिखवाई थी। पद क्र. 18 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्रदर्श पी 4 की वसीयत दिन के बारह बजे लिखी गयी थी। वसीयत माता जी के बोलने अनुसार लिखी गयी थी। माताजी बोलती जा रही थीं एवं उसका मजबूबन बनाकर लिखने वाले ने लिख दिया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके कितने बैंक में खाते हैं उसने उन्हें बताया था। पद क्र. 20 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी माताजी वसीयत करने के पंद्रह दिन पहले से बीमार थीं उसने जया रोग्य अस्पताल में उनका ईलाज कराया था वह उन्हें अस्पताल से ही श्री व्हीलर में बिठाकर गोरखी ले गया था उसके साथ उसकी दोनों बहनें एवं बहनोई कश्मीर सिंह तथा गुरुदेव सिंह थे। पद क्र. 21 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह अस्पताल से माताजी को गोरखी लेकर गया था एवं वसीयत होने के बाद वापस अस्पताल में भर्ती कर दिया था। पद क्र. 22 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी माताजी को कैंसर था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दावे में उल्लेखित सर्वे क्र. का उल्लेख वसीयत में नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि की नसीब कौर अकेले स्वामी नहीं थीं। पद क्र. 25 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके बाबा मुंशासिंह ने दिनांक 13/04/95 को उसके

हक में कोई वसीयत नहीं की थी। पद क्र. 27 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि नक्षत्र सिंह ने अपने हिस्से की जमीन अपनी पुत्री एवं पत्नी के नाम कर दी है।

9. साक्षी सतपाल कौर उर्फ मनजीत कौर वा.सा. 2, सरजीत सिंह वा.सा. 3 एवं हरदयाल सिंह वा.सा. 4 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

10. प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र.सा.1 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 84 रकवा 3.52 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 85 रकवा 1.67 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 102 रकवा 0.41 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 122 रकवा 0.40 हेक्टेयर के भूमि स्वामी मुंशासिंह थे उनकी मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि उनके पुत्र सोबरन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह को प्राप्त हुयी थी एवं राजस्व अभिलेखों में सोबरन सिंह के नाम का इंद्राज हुआ था तथा उसके पिता सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि उसके, उसकी मां नसीब कौर एवं उसके भाई वादी सोहन सिंह के नाम समान भाग पर नामांतरित हुयी थी तथा उसकी मां नसीब कौर की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि समान भाग से उसे व उसके भाई सोहन सिंह को प्राप्त हुयी थी। उसके व सोहन सिंह के मध्य दिनांक 06/03/2003 को लिखित बंटवारा हुआ एवं उक्त दिनांक को ही उसने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा अपनी पुत्री मनप्रीत कौर एवं पत्नी गुरुमेल कौर के नाम कर दिया था। उक्त दोनों बंटवारा उपपंजीयक कार्यालय गोहद में निष्पादित हुये थे, जिनकी जानकारी सोहन सिंह को भली भांति थी। वादी उसकी व अन्य प्रतिवादीगण के स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है इसी कारण उसने फर्जी वसीयत तैयार की है उसकी मां मृतक नसीब कौर ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत संपादित नहीं की थी बल्कि वादी ने कूटरचना करके उसकी मां की मृत्यु के बाद फर्जी वसीयत तैयार की है। वादग्रस्त भूमि पर उसकी व उसकी पत्नी गुरुमेल कौर व पुत्री मनप्रीत कौर की खेती हो रही है। एवं वर्तमान में उनकी ओर से बख्शी सिंह भाड़े पर खेती कर रहा है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पिता के मरने के बाद उसका, उसकी मां व उसके भाई का समस्त सम्पत्ति पर समान भाग पर नामांतरण हुआ था। पद क्र. 10 में उक्त साक्षी ने कहा है कि मां की बीमारी का पता चलते ही वह 15 मार्च 1983 को भारत आ गया था। माताजी की मृत्यु दिनांक 13 जून 1983 को हुयी थी इसके बाद वह 30 जुलाई 1983 को इंग्लैण्ड वापस गया था।

11. प्रतिवादी साक्षी बख्शी सिंह प्र.सा.2 ने भी प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र.सा.1 के समर्थन में साक्ष्य दी है।

12. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मृतक नसीब कौर के स्वामित्व की भूमि थे एवं नसीब कौर द्वारा वादी के हित में दिनांक 19/10/82 को वसीयत निष्पादित की गयी थी। उक्त वसीयत तीस वर्ष पुरानी है, जिसके सही होने की उपधारणा की जायेगी। तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी के कथन न्यायालय में न कराये जाने के कारण वसीयत को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि मृतक नसीब कौर द्वारा वादी के हित में कोई वसीयत नहीं की गयी थी। प्रदर्श पी 4 की वसीयत फर्जी है। वादी द्वारा वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है अतः प्रदर्श पी 4 की वसीयत प्रमाणित नहीं है। उक्त संबंध में प्रतिवादी द्वारा न्यायदृष्टांत बाबूसिंह एवं अन्य विरुद्ध रामसहाय उर्फ रामसिंह 2008(3)एस0सी0सी0डी0 1562 न्यायदृष्टांत जानकारी नारायण भोर विरुद्ध नारायण नामदेव कदम 2003(1)एम0पी0डब्ल्यू0एन0 130 एवं न्यायदृष्टांत कुंअरजीत सिंह खंडपुर विरुद्ध किरनदीप कौर एवं अन्य 2008 (2) एस0सी0सी0डी0 744 प्रस्तुत किए गए।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी मां स्वर्गीय नसीब कौर के स्वत्व की भूमि थी एवं नसीब कौर ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वेच्छया पूर्वक अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 19/10/82 को उसके हित में कर दी थी। इस प्रकार

वादी सोबरन सिंह वा.सा. 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी मां स्वर्गीय नसीब कौर के स्वत्व की भूमि थी, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि की पूर्व में भूमि स्वामी मृतक नसीब कौर थी। वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि ग्राम चक तुकेड़ा में उसके बाबा मुंशा सिंह के नाम 63 बीघे जमीन थी जो कि मुंशा सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके पिता स्वर्ण सिंह उर्फ सोबरन सिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी थी एवं सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद उक्त 63 बीघे भूमि पर सोबरन सिंह की बारिसान के रूप से समान भाग पर उसका, उसके भाई प्रतिवादी नक्षत्र सिंह एवं उसकी मां स्वर्गीय नसीब कौर का नामांतरण हुआ था, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि ग्राम चक तुकेड़ा में मुंशासिंह के नाम 63 बीघा जमीन थी जो उनकी मृत्यु के बाद वादी के पिता सोबरन सिंह को प्राप्त हुयी थी एवं सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में उसे, उसके भाई नक्षत्र सिंह एवं उसकी मां नसीब कौर को प्राप्त हुई थी। यद्यपि प्रतिवादी नक्षत्र सिंह द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उसके पिता सोबरन सिंह की मृत्यु पश्चात् सोबरन सिंह के हिस्से की भूमि पर समान भाग पर उसका, उसके भाई सोहन सिंह एवं उसकी मां नसीब कौर का नामांतरण हुआ था, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी को अपना वाद स्वयं प्रमाणित करना होता है वह प्रतिवादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि सोबरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् ग्राम चक तुकेड़ा में स्थित सोबरन सिंह की भूमि पर उसका, उसकी मां नसीब कौर एवं उसके भाई नक्षत्र सिंह का समान भाग पर नामांतरण हुआ था, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, खसरा, नामांतरण पंजी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि ग्राम चक तुकेड़ा में सोबरन सिंह के स्वत्व की भूमि स्थित थी जो सोबरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् सोबरन सिंह की पत्नी स्वर्गीय नसीब कौर एवं पुत्र वादी सोहन सिंह तथा प्रतिवादी नक्षत्र सिंह को प्राप्त हुयी थी।

14. वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी मां नसीब कौर के स्वत्व की भूमि थी। ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार पूर्णतः वादी पर था कि वादग्रस्त भूमि की स्वामी नसीब कौर थी जो तथ्य दस्तावेज के माध्यम से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित करना चाहिए। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि नसीब कौर के स्वत्व की भूमि थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय नसीब कौर के स्वत्व की भूमि होना व्यक्त किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उक्त भूमि की वसीयत नसीब कौर ने उसके हित में की थी, परंतु न तो वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय नसीब कौर के स्वत्व की भूमि थी और न ही प्रदर्श पी 4 की वसीयत में वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों का उल्लेख है। प्रदर्श पी 4 की वसीयत के पद क्र. 3 में यह वर्णित है कि “मेरे नाम से मौजा चक तुकेड़ा में भूमि स्वामी की जमीन है जो मेरे हिस्से में 1/3 21 बीघा के करीब है तथा एक रहने का मकान है इसके अलावा गृहस्थी का सामान है.....” इस प्रकार प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत में नसीब कौर द्वारा अपने हिस्से की 21 बीघा जमीन की वसीयत करने का उल्लेख है, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि नसीब कौर के नाम ग्राम चक तुकेड़ा में कौन-कौन से सर्वे क्रमांक थे। प्रदर्श पी 4 की वसीयत में वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों का उल्लेख नहीं है एवं वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांक की भूमि नसीब कौर के स्वत्व की थी। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मृतक नसीब कौर द्वारा वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादी सोहन सिंह के हित में निष्पादित की गयी थी।

15. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने मृतक नसीब कौर द्वारा की गयी कथित वसीयत दिनांक 19/10/82 के आधार पर स्वयं को वादग्रस्त भूमि का स्वामी होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी 4 की वसीयत को प्रमाणित करने का भार पूर्णतः वादी पर है। वसीयत किसप्रकार प्रमाणित की जायेगी इसके संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं— जिसके अनुसार— विशेषाधिकार रहित विलो का निष्पादन — प्रत्येक वसीयत कर्ता जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या



लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाज ही नहीं है अपने विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा -

(क) वसीयत कर्ता विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिन्ह लगायेगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किये जायेंगे या लगाये जायेंगे कि जिससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल के रूप में प्रभावी करने का आशय था।

(ग) विल को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा जिसमें से प्रत्येक ने वसीयत कर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है या वसीयत कर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है, और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होगा।

16. इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं जिसके अनुसार - ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है - यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जायेगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय के आदेशिका के अध्यक्षीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो।

17. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वसीयत को प्रमाणित करने के लिए वसीयत के कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को वसीयत का निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से बुलाया जाना आवश्यक है। वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा स्वयं के अतिरिक्त वादी साक्ष्य में सतपाल कौर उर्फ मनजीत कौर वा.सा. 2, सरजीत सिंह वा.सा. 3 एवं हरदयाल सिंह वा.सा. 4 को परीक्षित कराया गया है, परंतु उक्त साक्षी प्रदर्श पी 4 की वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी नहीं हैं। प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त कथित वसीयत पर साक्षीगण के रूप में गुरुदेव सिंह एवं कश्मीर सिंह के हस्ताक्षर हैं, परंतु गुरुदेव सिंह एवं कश्मीर सिंह को वादी द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। यद्यपि तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा साक्षी कश्मीर सिंह का आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी द्वारा प्रदर्श पी 4 के अनुप्रमाणक साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, परंतु वादी अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। वादी द्वारा साक्षी कश्मीर सिंह को प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया है ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का शपथ पत्र साक्ष्य में अपठनीय है।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत को प्रमाणित करने के लिए वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी को साक्ष्य में बुलाना आवश्यक है वादी द्वारा प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी गुरुदेव सिंह एवं कश्मीर सिंह को परीक्षित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी 4 की वसीयत को प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

19. जहां तक वादी द्वारा उक्त संबंध में प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसकी मां ने प्रदर्श पी 4 की वसीयत ग्वालियर कचहरी में की थी। वसीयत गोरखी ग्वालियर में ही लिखायी गयी थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि गोरखी ग्वालियर में ही रजिस्टार कार्यालय है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत का निष्पादन रजिस्टार कार्यालय गोरखी ग्वालियर में होना बताया है, परंतु प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत रजिस्टार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। यह तथ्य भी वसीयत की प्रमाणिकता को शंकास्पद बना देता है।

20. वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि उसकी माता जी ने वसीयत दिनांक 19/10/82 को दिन के लगभग 12 बजे की थी एवं वसीयत के समय उसकी दोनों बहनें तथा बहनोई कश्मीर सिंह एवं गुरुदेव सिंह उसके साथ थे। उसकी माताजी कैसर से पीड़ित थीं एवं जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में ईलाजरत थीं। वह अपनी माताजी को अस्पताल से थ्री व्हीलर से गोरखी ले गया था तथा वसीयत निष्पादित होने के बाद उन्हें वापिस अस्पताल में भर्ती कर दिया था जबकि वादी सोहन सिंह की बहन सतपाल कौर वा.सा. 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 8 में यह बताया है कि जिस दिन वसीयत हुयी थी उस दिन उसकी माताजी ग्राम चक तुकेड़ा से ग्वालियर गयी थीं वह लोग पहले अस्पताल गये थे उसके बाद गुरुद्वारे गये थे फिर वसीयत कराकर माताजी को गुरुद्वारे लाये थे एवं माताजी उसी दिन वसीयत करके घर लौट आयी थीं। इसप्रकार वादी सोहन सिंह वा.सा.1 द्वारा यह बताया गया है कि वह अपनी मां मृतक नसीब कौर को वसीयत कराने के लिए जयारोग्य अस्पताल से गोरखी ग्वालियर ले गया था एवं वसीयत के निष्पादन के पश्चात् उन्हें जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कर दिया था जबकि वादीसाक्षी सतपाल कौर वा.सा. 2 का कहना है कि वह उसी दिन ग्राम चक तुकेड़ा से वसीयत करने गयी थी तथा वसीयत करने के बाद वह वापस घर आ गयी थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 एवं वादीसाक्षी सतपाल कौर वा.सा. 2 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो वसीयत के निष्पादन को शंकास्पद बना देते हैं।

21. वादी साक्षी सरजीत सिंह वा.सा. 3 ने अपने शपथ पत्र में तो यह बताया है कि मृतक नसीब कौर ने सोहन सिंह के हित में वसीयत की थी, परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि नक्षत्र सिंह के पिता के पास ग्राम चक तुकेड़ा में 27-28 बीघे जमीन थी जो स्वर्ण सिंह की मृत्यु के बाद अकेले सोहन सिंह को मिली थी। पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वसीयतनामा उसके सामने नहीं हुआ था, उसे जानकारी नहीं है कि वसीयत किस महीने हुई थी, उसे यह भी जानकारी नहीं है नसीब कौर ने कौन-कौन से सर्वे क्रमांक की भूमि सोहन सिंह को वसीयत की थी। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि नसीब कौर के पास जमीन कहां से आयी थी। पद क्र. 4 में उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वसीयतनामा में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार वादी साक्षी सरजीत सिंह वा. सा.3 के कथनों से यह दर्शित है कि उसे प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है इसके अतिरिक्त वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा यह बताया गया है कि उसके पिता स्वर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके पिता की भूमि पर उसका, उसकी मां एवं उसके भाई नक्षत्र सिंह का समान भाग पर नामांतरण हुआ था जबकि वादी साक्षी सरजीत सिंह वा.सा. 3 का कहना है कि स्वर्ण सिंह के नाम की सम्पूर्ण भूमि उनकी मृत्यु के बाद वादी सोहन सिंह को प्राप्त हुयी थी। वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि नक्षत्र सिंह मां की मृत्यु के पूर्व भारत आ गये थे जबकि वादी साक्षी सरजीत सिंह वा.सा. 3 द्वारा व्यक्त किया गया है कि नक्षत्र सिंह नसीब कौर की मृत्यु के समय नहीं आया था एवं नक्षत्र सिंह नसीब कौर की अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार उक्त बिंदुओं पर वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 एवं वादी साक्षी सरजीत सिंह वा.सा.3 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। सरजीत सिंह वा.सा.3 के कथनों से यह भी प्रकट हो रहा है कि सरजीत सिंह वा.सा.3 को प्रदर्श पी 4 की कथित वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है एवं वह मात्र वादी के कहे अनुसार कथन दे रहा है।

22. वादी साक्षी हरदयाल सिंह वा.सा.4 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि नसीब कौर ने कितनी जमीन की वसीयत की थी उसे जानकारी नहीं है नसीब कौर के पास उस वक्त कितनी जमीन थी उसे जानकारी नहीं है। विवादित जमीन पर कौन खेती कर रहा है उसे जानकारी नहीं है वसीयत किस दिनांक को हुयी थी वह नहीं बता सकता। वसीयत किन-किन सर्वे क्रमांकों की हुयी थी और कितने रकवे की हुयी थी उसे जानकारी नहीं है इस प्रकार वादी साक्षी हरदयाल सिंह के कथनों से भी यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी को भी वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अतः उक्त साक्षी के कथन भी वसीयत के संबंध में विश्वास योग्य नहीं है।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत को सभी शंकास्पद परिस्थितियों से परे साबित करने का भार वादी पर होता है। वसीयत को प्रमाणित करने के लिय यह प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है कि



जिस समय वसीयत निष्पादित की गयी थी उस समय वसीयतकर्ता स्वस्थचित था एवं वसीयत करने में सक्षम था तथा वसीयतग्रहीता द्वारा उसपर कोई दबाव नहीं डाला गया था वसीयतकर्ता वसीयत करते समय अच्छी हालत में था एवं स्वस्थ मनःस्थिति में था। प्रस्तुत प्रकरण में वादी सोहन सिंह वा.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि मृतक नसीब कौर कैंसर से पीड़ित थी तथा वसीयत करने के पंद्रह दिन पहले से बीमार थी एवं वह उन्हें अस्पताल से ही वसीयत कराने के लिए गोरखी ग्वालियर ले गया था यद्यपि वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया है कि मृतक नसीब कौर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी परंतु वादी साक्षी सतपाल कौर वा.सा. 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसकी माताजी बीमारी के कारण अपनी सुध-बुध खो चुकी थी तथा उसकी माताजी ने मृत्यु के लगभग दो-तीन महीने पहले सोहन सिंह को वसीयत की थी। इस प्रकार वादी साक्षी सतपाल कौर वा.सा. 2 के कथनों से यह भी दर्शित है कि मृतक नसीब कौर कैंसर की बीमारी के कारण अपनी सुध बुध खो चुकी थी अर्थात् उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी ऐसी स्थिति में वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के अंतर्गत विल करने के लिए समर्थ नहीं थी।

24. वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रदर्श पी 4 की वसीयत दिनांक 19/10/82 को निष्पादित हुयी थी एवं वह तीस वर्ष पुराना दस्तावेज है अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत उसके सही होने की उपधारणा की जायेगी, परंतु वादी अधिवक्ता का यह तर्क उचित नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 की उपधारणा वसीयत के संबंध में लागू नहीं होती है। वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1985 की धारा 63 (सी) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार ही साबित किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत एम.बी.रमेश (मृत) द्वारा बारिसान विरुद्ध के.एम.बिराजे (मृत) द्वारा बारिसान और अन्य ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 2088 भी उल्लेखनीय है।

25. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादी सोहन सिंह वा.सा. 1 ने वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी होना बताया है, परंतु प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से प्रदर्श पी 4 की वसीयत प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित नहीं है। वादी द्वारा जो वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 3 प्रस्तुत की गयी है उसमें भी वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी के रूप में प्रतिवादीगण का नाम अंकित है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं है।

26. प्रकरण में प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र.सा.1 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06/03/2003 को उपपंजीयक कार्यालय गोहद में बंटवारा हुआ था, परंतु प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी एवं प्रतिवादी क. 1 के मध्य बंटवारा हुआ था। प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र.सा. 1 ने दिनांक 06/03/03 को उपपंजीयक कार्यालय में बंटवारा निष्पादित होना तो बताया है, परंतु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज और कोई बंटवारा पत्रक अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि दिनांक 06/03/2003 को वादी एवं प्रतिवादी क. 1 के मध्य रजिस्टार कार्यालय गोहद में बंटवारा हुआ था।

27. प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र0स0 01 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्तभूमि के पूर्व स्वामी उसके बाबा मुंशा सिंह थे। मुंशासिंह की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि उसके पिता सोवरन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह को प्राप्त हुई थी एवं उसके पिता की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि उसकी मां नसीब कौर उसके भाई वादी सोहन सिंह एवं उसके नाम नामात्रित हुई थी तथा नसीब कौर की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि समान रूप से उसे व उसके भाई सोहर सिंह को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्रतिवादी नक्षत्र सिंह प्र0स0 01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसे नसीब कौर की मृत्यु उपरांत वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी, परंतु प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय नसीब कौर के स्वामित्व की भूमि थी जो कि नसीब कौर की मृत्यु के बाद

उसे नसीब कौर के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी।

28. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर वसीयत के आधार पर स्वत्व एवं आधिपत्य होना बताया है परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय नसीब कौर की स्वत्व की भूमि थी एवं नसीब कौर को वादग्रस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार था। प्रकरण में आयी साक्ष्य से प्रदर्श पी 4 की वसीयत भी प्रमाणित नहीं है। उक्त बिंदु पर आयी मौखिक साक्ष्य भी परस्पर विरोधाभासी है। वादी प्रदर्श पी 4 की वसीयत प्रमाणित करने में भी असफल रहा है। अतः समग्र अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं है कि विवादित भूमि की एक मात्र स्वामी नसीब कौर थीं एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादी वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य घर बंटवारा हुआ था एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी। फलतः उपरोक्त वादप्रश्नों का निराकरण उनके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### सहायता एवं व्यय

29. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

30. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा

31. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 31.03.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0